

अंतिम डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

तेजमल बनाम कैलाश

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 41/2020

पेश करने की दिनांक - 30.06.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चोधरी मुददई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम बूवानिया के हाल खसरा नम्बर 935/1 रकबा 0.1280 व 936/1 रकबा 0.1440 का खातेदार वादी को हाल खसरा नम्बर 935/2 रकबा 0.0320 का खातेदार कैलाश पुत्र छोटू को हाल खसरा नम्बर 936/2 रकबा 0.2160 का खातेदार कैलाश पुत्र छोटू 1/6 हि., गणेश पुत्र किशनलाल 1/30 हि., गायत्री पुत्री किशनलाल 1/30 हि., गीता पुत्री किशनलाल 1/30 हि., सीमा पत्नी किशनलाल 1/30 हि., शंकर लाल पुत्र भोलालाल 1/6 हि., श्रीराम पुत्र किशनलाल 1/30 हि., सत्यनारायण पुत्र भोलालाल 1/6 हि. राधा पुत्री भोला 1/6 हि. व रूकमा पुत्री भोला 1/6 हि. को घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 27 माह 2 सन् 2026 को जारी की गयी।

मुददई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प पजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
वाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
वाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद